उपभोक्ता मामले अनुभाग-2
संख्या- 5 /2023/308/84-2-2023
लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2023

अधिसूचना

चूँकि उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 42 के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या- 1/2021/ सीपी.41./84-2-2021- सी.पी.14/88 टीसी दिनांक: 02 फरवरी 2021 द्वारा श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त मा. न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद को चार वर्ष की अवधि अथवा पैसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया था ।

और चूँकि केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर, 2022 द्वारा अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यकाल को चार वर्ष की अवधि अथवा सड़सठ वर्ष की आयु , जो भी पहले हो संशोधित किया गया है।

अतएव, अब, उक्त अधिसूचना दिनांक: 02 फरवरी 2021 में आंशिक उपांतरण करके राज्यपाल, श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त मा. न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कार्यकाल अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर चार वर्ष की अवधि अथवा सड़सठ वर्ष की आयु , जो भी पहले हो तक उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विस्तारित करती हैं।

आज्ञा से,
Signed by आलोक कुमार III
Date: 09.08.2023 16:27:43
Reason: Approved
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :- 5 /2023/ 308/84-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि: अधिसूचना के अंग्रेजी रूपांतरण सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(संलग्नक -यथोक्त)

आज्ञा से,
(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या:- 5 /2023 / 308/84-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री अशोक कुमार, मा.अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

3. निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उपभोक्ता न्याय भवन,'एफ' ब्लाक जी.पी.ओ. काम्प्लेक्स, आई.एन.ए. नयी दिल्ली ।
4. महानिबंधक, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा. मुख्य न्यायाधीश महोदय के संज्ञानार्थ ।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
7. निजी सचिव, मा. मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग)।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)

उप सचिव ।

Uttar Pradesh shasan

Upbhokta Mamle section -2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.5 /**2023 / 308/84-2-2023**, Dated 14 **Agust,** 2023.

Notification

No. 5 /2023 / 308/84-2-2023

Lucknow : Dated 14 Agust, 2023

Whereas vide notification no-1/2021/CP.41/84-2-2021-CP.14/88 TC dated: 02 February, 2021 Justice Shri Ashok Kumar, Hon'ble Retired Judge of High Court ,Allahabad was appointed to the post of President, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar Pradesh Lucknow for a term of four years or up to the age of sixty-five years, whichever is earlier as per the provisions of section 42 of the Consumer Protection Act,2019 read with rule 6 of the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020.

And Whereas the Central Government has amended term of office of President , State consumer Redressal Commission for a term of four years or upto the age of sixty-seven years, whichever is earlier vide it's notification dated September 15, 2022.

Now, Therefore, in partial modification of notification dated 02 February, 2021, the Governor is pleased to extend the term of office of Justice Shri Ashok Kumar, Hon'ble Retired Judge of High Court ,Allahabad on the post of President, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar Pradesh Lucknow for a term of four years or up to the age of sixty-seven years, whichever is earlier from the date of his joining on the said post .

By Order,
Signed by आलोक कुमार III
Date: 09-08-2023 16:26:30
Reason: Approved
(Alok Kumar)
Principal Secretary

SAO